

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल मुरादाबाद।

पत्रांक 1007 / डा-64 (148) / ग्रा0अ0वि0 / पंजी0-नवीनी0 / 2019-20 दिनांक 24/09/19

-: श्रेणी 'सी' पंजीकरण का नवीनीकरण :-

मै0 के0एस0 कन्सट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री राजीव कुमार आर्य, पुत्र श्री ओमप्रकाश आर्य निवासी-मौ0 कटरा चेताराम, नजीबाबाद जिला बिजनौर, का इस कार्यालय के पत्र संख्या 415 दिनांक 11.07.2016 द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल मुरादाबाद के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के ठेके हेतु श्रेणी "सी" में क्रमांक 148 पर पंजीकरण किया गया था, जिसकी वैधता दिनांक 30-06-2019 को समाप्त हो चुकी है। अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बिजनौर के पत्र सं0 1245 दिनांक 19.09.2019 द्वारा नवीनीकरण के लिये की गई संस्तुति एवं ठेकेदार के प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2019 में किये गये अनुरोध एवं उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर शासनादेश संख्या 3460/23-7-08-41एम.एस.ए./54टी.सी.-III दिनांक 28-07-2008 एवं शासनादेश संख्या 2466/92-1-2018-65एम/ 2014 दिनांक 30-07-2018 एवं ठेकेदार के पंजीकरण एवं वर्गीकरण नियमावली 1982 के अधीन मै0 के0एस0 कन्सट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री राजीव कुमार आर्य, पुत्र श्री ओमप्रकाश आर्य निवासी-मौ0 कटरा चेताराम, नजीबाबाद जिला बिजनौर का श्रेणी 'सी' में पंजीकरण क्रमांक 148 का नवीनीकरण करते हुए इसकी वैधता दिनांक 30-6-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है। तदोपरान्त स्वतः समाप्त माना जायेगा। पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व करना अनिवार्य होगा।

कोटि :- मार्ग निर्माण

पूर्व धरोहर राशि रू0. 100,000-00

जी0एस0टी0 नं0-09ADIPA4089QIZX

R 24/9/19
(राम चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता
K.Ram
24/9/19

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मै0 के0एस0 कन्सट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री राजीव कुमार आर्य, पुत्र श्री ओमप्रकाश आर्य निवासी-मौ0 कटरा चेताराम, नजीबाबाद जिला बिजनौर को उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि यदि उक्त पंजीकरण की वैधता अवधि से पूर्व आपके हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको उक्त प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीन हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। यदि आपके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो उक्त स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को आपके पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मुरादाबाद / रामपुर / बिजनौर / अमरोहा / सम्भल को तदानुसार अनुपालन एवं अभिलेखार्थ।



R 24/9/19
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल मुरादाबाद।
K.Ram
24/9/19